राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 40(14)ग्रावि / नरेगा / मैन्युअल / 2010 जयपुर, दिनांकः 27/5/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **जिले में कार्यरत अधिशाषी / सहायक अभियंताओं द्वारा कार्यो के मूल्यांकन एवं निरीक्षण बाबत।**

प्रसंगः **विभागीय पत्र कमांक एफ 10(4)ग्रावि / नरेगा / अ.अ. / 2010 दिनांक 16.03.2010 एवं दिनांक 06.08.2010**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.03.2010 के द्वारा नरेगा कार्यो के प्रभावी मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु अधिशाषी अभियंता (नरेगा) के साथ –साथ अधिशाषी अभियंता (भू–ससांधन) एवं अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) की सेवाएं भी लेने हेतु निर्देशित किया हुआ है। विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ जिलों में अधिशाषी अभियंता (भू–संसाधन) एवं अधिशाषी अभियंता (अभियान्त्रिकी) को नरेगा योजना हेतु प्रभारी अधिकारी तो बनाया हुआ है एवं उनके द्वारा क्षेत्र में कार्यो का निरीक्षण भी किया जा रहा है परन्तु मूल्यांकन (यू.सी. / सी.सी.) प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। यथासम्भव विभाजन इस तरह हो कि सभी पंचायत समिति के लिए कोई ना कोई अधिशाषी अभियंता प्रभारी अभियंता बने।

तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के बिन्दु संख्या 10.2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्यो का मूल्यांकन किया जावे। अतः उपरोक्त सन्दर्भ में पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. जिले की सभी पंचायत समितियों को अधिशाषी अभियंताओं के मध्य विभाजित किया जावे ताकि कार्यो का मूल्यांकन एवं निरीक्षण नियमित रूप से हो सके।
2. पूर्व में जो अधिशाषी अभियंता पंचायत समितियों का निरीक्षण करते रहे हैं परन्तु उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया जावे।
3. सहायक अभियंता जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, ईजीएस, भू–संसाधन, सिंचाई विभाग आदि को भी पंचायत समितियों में निरीक्षण कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावे।
4. जिन पंचायत समितियों में एक भी सहायक अभियंता पद स्थापित नहीं हैं, उनमें अन्य पंचायत समितियों जिनमें दो सहायक अभियन्ता पदस्थापित है उनमें से एक की सेवाएं ली जा सकती है एवं ऐसे आदेशों की विभाग द्वारा पुष्टि करवाली जावे। सहायक अभियंताओं द्वारा पंचायत समिति के प्रभारी अधिशाषी अभियंताओं को मूल्यांकन एवं निरीक्षण बाबत नियमित रूप से सूचित किया जावेगा।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

27/5/11
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस